भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2017/4370 **निगरानी प्रकरण क्रमांक : ....**

राजू आत्मज रामचरण
निवासी – ग्राम कानासैया,
तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल .... **प्रार्थी**

विरूद्ध

01. **श्रीमती मनीषा राय** पत्नी श्री मोहन राय
02. **शक़ीला बी** पत्नी हफ़ीजउल्ला ख़ॉ
03. **ग्रीन सिटी डेवलपर्स**
द्वारा पार्टनर – बीजू वर्गीस वयस्क
आत्मज वर्गीस थॉपस
पता– 37/10, माता मंदिर, भवानी चौक,
आनंद नगर, भोपाल ....**प्रतिप्रार्थीगण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.02.2017, जो प्रकरण क्र. 41/अ–12/2016–17 में न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय, वृत्त–2, बिलखिरिया, तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी क्र. 01 मनीषा राय ने ग्राम कानासैया स्थित भूमि खसरा क्र. 1074/1/1, 1075/2/1 रकबा क्रमशः 0.520, 0.130 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इसी तरह दो अन्य आवेदन प्रार्थी क्र. 02 व 03 द्वारा भी अपनी–अपनी भूमि के सीमांकन हेतु प्रस्तुत किये गये। उक्त तीनों आवेदनों को संलग्न किया जाकर सीमांकन की कार्यवाही की गई है।

02. यह कि, आलोच्च आदेश के द्वारा सीमांकन का अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिससे दुःखित एवं असंतुष्ट होकर श्रीमान् के समक्ष यह

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा./2017/4370 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 बिलखिरिया, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 बिलखिरिया, तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 07-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	